

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1023

दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं

1023. श्री आदित्य यादव:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में महिलाओं और बच्चों को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण/बाल श्रम रोकथाम से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी रिपोर्टों में बताया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त जिले में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर क्या है;
- (ग) महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने, कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएं/कार्यक्रम क्या हैं;
- (घ) महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य और पोषण अभियान/लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की गई/कार्यान्वित की जाने वाली योजना का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) उक्त जिले में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा/कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री  
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख) भारत के महापंजीयक (आरजीआई) की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में शिशु मृत्यु दर

(आईएमआर) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 37) है। एसआरएस-आरजीआई रिपोर्ट में जिला स्तर पर शिशु मृत्यु दर अनुमान नहीं दिए गए हैं।

वर्ष 2020-22 की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु दर 141 थी। यह वर्ष 2018-20 की एसआरएस रिपोर्ट में दर्ज प्रति लाख जन्मों बच्चों पर 167 मृत्यु दर से कम है।

**(ग) से (ड.)** भारत सरकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएच+एन) कार्यनीति के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए कार्यकलापों का विवरण नीचे दिया गया है:

- **सुविधा आधारित नवजात देखरेख :** बीमार और छोटे शिशुओं की देखरेख के लिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्तर पर विशेष नवजात देखरेख एकक (एसएनसीयू), प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में नवजात स्थिरीकरण (Stabilization) एकक (एनबीएसयू) की स्थापना जाती हैं।
- **नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित देखरेख:** गृह आधारित नवजात देखरेख (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की गृह देखरेख (एचबीवाईसी) कार्यक्रम के तहत, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों के पालन-पोषण की प्रथाओं में सुधार करने और समुदाय में बीमार नवजात शिशु और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए घर का दौरा किया जाता है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** एक वर्ष तक का बीमार शिशु मुफ्त परिवहन, निदान, दवाओं, रक्त और उपभोज्य वस्तुओं के प्रावधान के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त उपचार का हकदार है।
- निमोनिया के कारण बचपन की रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए 2019 से सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई पहल कार्यान्वित की गई ।

- बचपन में होने वाले दस्त के कारण रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **स्टॉप डायरिया** अभियान चलाया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके):** बच्चों की उत्तरजीविता में सुधार के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की 32 स्वास्थ्य स्थितियों (अर्थात् बीमारियों, कमियों, दोषों और विकासात्मक देरी) के लिए जांच की जाती है। आरबीएसके के अंतर्गत जांच किए गए बच्चों की पुष्टि और प्रबंधन के लिए जिला स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर जिला प्रारंभिक उपचार केन्द्र (डीईआईसी) स्थापित किए जाते हैं।

अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तीन व्यापक मिशनों अर्थात् (1) पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, देखरेख और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य के रूप में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले सहित देश भर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा/कल्याण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना, कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना एवं महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा लैंगिक असमानताओं को दूर करना शामिल है। योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

**(i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0):** इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप-कार्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है: (i) बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए पोषण सहायता (ii) प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख एवं शिक्षा और (iii) उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी अवसंरचना।

**(ii) मिशन शक्ति:** इसमें महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्रमशः दो कार्यक्षेत्र '**संबल**' और '**सामर्थ्य**' शामिल हैं।

**संबल** - संबल कार्यक्षेत्र के तहत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है: **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर समेकित और समन्वित तरीके से निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एकीकृत सहायता और समर्थन प्रदान करना है; **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)** एक 24 x 7 x 365 टोल-फ्री आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है जो ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत है; **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** - जन्म के समय घटते लिंग अनुपात (एसआरबी) और जीवन चक्र निरंतरता में बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से शुरू किया गया; **नारी अदालत** - न्याय सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त करने और वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह रणनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक पायलट पहल है।

**ii. सामर्थ्य** - 'सामर्थ्य' कार्यक्षेत्र के तहत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है: **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** - एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में पहली और दूसरी बालिका के लिए नकद प्रोत्साहन मिलता है; **उज्वला और स्वाधार गृह (जिसका नाम बदलकर शक्ति सदन कर दिया गया है)** - दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकट ग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह; **कामकाजी महिला छात्रावास (नाम बदलकर सखी निवास कर दिया गया है)** - शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर स्थित आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं; **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण केंद्र (एनएचईडब्ल्यू)** - राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा के लिए और **राष्ट्रीय क्रेच योजना (जिसका नाम बदलकर पालना किया गया है)** जिसका उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।

**(iii) मिशन वात्सल्य:** मिशन वात्सल्य में मिशन मोड में बेहतर पहुंच और देखरेख के जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है: (i) कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सहायता

करना और उनका भरण-पोषण करना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान तैयार करना। (iii) नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के अवसर उपलब्ध कराना (iv) साझा प्रयासों को मजबूत करना

\*\*\*\*\*